बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या–15/बि0स0से0–02–02/2008–सा0प्र0–22093 दिनांक 05.12.2023

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 19(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–**

   (i) यह नियमावली ***"बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023"*** कही जा सकेगी।

   (ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।

   (iii) यह बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–4(1) का संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–4(1) की तालिका क्रम संख्या–01 में अंकित सेवा के मूल कोटि के पदनाम को ***"सहायक"*** के स्थान पर ***"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी"*** के रूप में संशोधित किया जाता है।

3. ***बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010*** (समय–समय पर यथासंशोधित) में, जहाँ भी ***"सहायक"*** शब्द अंकित है, उसे ***"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी"*** शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/12/23

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–02–02/2008–सा0प्र0–22093/पटना–15,दिनांक 05.12.2023

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

5/12/23

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–02–02/2008–सा0प्र0–22093/पटना–15,दिनांक 05.12.2023

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/महाधिवक्ता, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/23

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

संख्या–15/बि0स0से0–02–02/2008–सा0प्र0–......22094.............दिनांक.........05.12.2023

अधिसूचना संख्या......22093... दिनांक ...05.12.2023... का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गुफ़रान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar

General Administration Department

<u>NOTIFICATION</u>

No.-15/B.S.S.-02-02/2008GAD ....22094............/ Patna-15, Dated ....05.12....... 2023

In exercise of powers conferred by Section 19(1) of the Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 3, 2008) (as amended from time to time) State Government makes following Rules to amend the Bihar Secretariat Service Rules, 2010.-

1. **Short title, extent & commencement.-**
   (i) These Rules may be called ***"Bihar Secretariat Service (Amendment) Rules, 2023."***
   (ii) It Shall extend to the Departments of the State Government and its Attached Offices.
   (iii) It shall come into force from the date of gazette notification of ***"Bihar Secretariat (Amendment) Act, 2023."***

2. **Amendment in the Rules 4(1) of Bihar Secretariat Service Rules, 2010.-** The name of basic grade post of the Service ***"Assistant"*** as mentioned sl. no.-1 of table of rules 4(1) is hereby substituted by ***"Assistant Section Officer"***.

3. **In the Bihar Secretariat Service Rules, 2010** (as amended from time to time), the word ***"Assistant",*** wherever mentioned, is substituted by the word ***"Assistant Section Officer".***

By the order of the Governor of Bihar

(Ghufran Ahmed)
Joint Secretary to Government

Memo No.- 15/B.S.S.-02-02/2008GAD ......22094........./ Patna-15, Dated ....05.12........ 2023

Copy forwarded to E-gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna to publish in forthcoming extra ordinary Edition of gazette.

(Ghufran Ahmed)
Joint Secretary to Government